महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

के संस्कृति विद्यापीठ के अंतर्गत

डॉ. बाबासाहब आंबेडकर दलित एवं आदिवासी अध्ययन केंद्र

में एम.फिल. उपाधि हेतु प्रस्तुत

# “दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ; एकअध्ययन”

(विशेष संदर्भ : वर्धा शहर,जिला-वर्धा, महाराष्ट्र)

## लघु शोध-प्रबंध

2013-2014

ज्ञान शांति मैत्री


| शोधार्थी | शोध निदेशक |
|---|---|
| सुश्री.निताचांगदेव देशभ्रतार | प्रो.डॉ.एल.कारूण्यकरा |
| एम.फिल.दलित एवं आदिवासी अध्ययन | अधिष्ठाता- संस्कृति विद्यापीठ, |
| डॉ. बाबासाहब अंबेडकर दलित | निदेशक डॉ. बाबासाहब अंबेडकर |
| एवं आदिवासी अध्ययन केंद्र | दलित एवं आदिवासी अध्ययन केंद्र |

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
पोस्ट मानस मंदिर, गांधी हिल्स, वर्धा- 442005 (महाराष्ट्र) भारत

# विषय - सूची


| | |
|---|---|
| प्रमाण-पत्र | (i) |
| घोषणा-पत्र | (ii) |
| आभार | (iii) |
| **अध्याय** | **पृ़ष्ठ संख्या** |
| 1. प्रथम अध्याय :शोध प्रविधि का परिचय | 1 - 17 |
| 2. व्दितीय अध्याय :दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ एवं यौन उत्पीड़न | 18 - 63 |
| 3. तृतीय अध्याय :वर्धा शहर की दलित कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ; एक अध्ययन | 64 - 90 |
| 4. चतुर्थ अध्याय-: वर्धा शहर की आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ; एक अध्ययन | 91 - 110 |
| 5. पंचम अध्याय -: निष्कर्ष एवं सुझाव | 111 - 116 |

परिशिष्ट

- संदर्भ-ग्रंथ सूची 117 - 121
- प्रश्नावली 122 - 126
- छायाचित्र 127 - 128

# प्रथम अध्याय

# शोध प्रविधि का परिचय

1.1 प्रस्तावना

1.2 साहित्य पुनरावलोकन

1.3 शोध का उद्देश्य

1.4 शोध की परिकल्पना

1.5 शोध प्रविधि

1.6 अध्यायीकरण

1.7 परिशिष्ट

# शोध प्रविधि का परिचय

## 1.1प्रस्तावना

आझादी के 66 साल बीत चुके है। फिर भी हम स्वतंत्र भारत में रहकर समाजनिर्मित जातिव्यवस्था के अंतर्गत खुद को आझाद एंव सुरक्षित मानने के लिए तैयार क्यों नहीं? देश अंग्रेजो की गुलामी से तो मुक्त हो गया लेकिन भारतीय समाज का आधे से जादा हिस्सा वर्तमान में भी गुलामगिरी का जीवन यापन कर रहा है। यह उपेक्षित बहुजन समाज शोषित है, उत्पीड़ीत है, अज्ञान में है, अपने मौलिक अधिकारो से वंचित है। और जातिगत वर्गव्यवस्था में झुलस रहा है। इस बहुजन वर्ग में दलित आदिवासी वर्ग का विशेषत समावेश है। यह दलित आदिवासी वर्ग आझादी के पूर्व भी गुलाम था आझादी के पश्चात भी गुलामी में ही जी रहा है। यह वर्ग हजारों साल पहले स्वतंत्र था। लेकिन भारत देश में परायें आर्यो ने आकर यहाँ के मूलनिवासीयों को हराया और यहाँ के मूल जिन्हें अनार्य संबोधित किया गया उन्हें अपना गुलाम बनाया। वर्तमान के दलित आदिवासियों ने उनकी गुलामी अस्विकार की। लेकिन शेष वर्ग ने आर्यों का साथ दिया। तभी से आर्य ओर अनार्य का संघर्ष चालू है। आर्यो ने अनार्यो का शोषण और उत्पीड़न शुरू कर दिया। तभी से यही संस्कृति चली आ रही है।

आर्य जो आज सवर्ण कहलाते है, दलित और आदिवासी को कभी अपने समाज का अंग नहीं मानते। वे शुरू से ही उनपर वर्चस्व बनायें रखना चाहते है। उन्होंने इस दलित आदिवासी वर्ग को असंख्य यातनायें दी। जिसमें बालक, बुजुर्ग, स्त्री-पुरूष सभी वर्ग थे। शुरू से ही उन्होंने दलित आदिवासीयों के अस्तित्व को नकारा। सवर्णों ने दलित आदिवासियों को अतिशूद्र का दर्जा दिया। उनके सभी कार्यों पर निर्बंध डाल दिये गये। उन्हें रूढ़ी-परंपरा और संस्कृति से जखड़ दिया। खुद के बनाये हुये अघोरी नीतिनियमों को उनपर थोप दिया गया। आज भारत 21 वी सदीं की ओर बढ़ रहा है। इसके बावजुद भी यहाँ पर कई बहुजन समाज की उन्नति बाकी है। बहुजनों को छोड़ अन्य वर्ग का समाज प्रगतिपथ पर है। बहुजन समाज

को अभी भी अपनी उन्नति के लिये दुनिया भर की समस्याओं से झुलस ना पड़ रहा है। शासन प्रशासन सब खुली आँखो से देख आनंद उठा रही है। क्योंकि वहाँ पर भी सवर्णों का ही वर्चस्व है। यदि कोई दलित आदिवासी वर्ग अपने अधिकारों की माँग करता है या जुल्म के खिलाफ संघर्ष करता है उसे इसकी सजा भूगतनी पड़ती है।

भारत के संविधान निर्माण कर्ता बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर जी ने उपर्युक्त सभी समस्याओं का गहन अध्ययन कर संविधान में अनुच्छेद (15) के अंतर्गत किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, भाषा एवं लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करने का उल्लेख किया गया है। बाबासाहब खुद इन सब समस्याओं के भुक्तभोगी रह चुके है। उन्होंने भी अपने जीवन में अंतिम समय तक सवर्णों के खिलाफ बहुजन समाज को गुलामी से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। संविधान के रूप में बाबासाहब ने यह जीत हासिल भी की। और उसी आधार पर आज बहुजन समाज के बहुसंख्य लोगों ने अपनी उन्नति भी की। लेकिन दुःख की बात तो यह है की, 15 प्रतिशत समाज आज 85 प्रतिशत समाज पे अपनी एकता के आधार पर अभी भी जुल्म ढा रहा है। क्योंकि बाबासाहब का बहुजन समाज आज भी संघटित नहीं है। बाबासाहब ने अपने बहुजनों को उपदेश दिया था, शिक्षित बनों, संघर्ष करो और संघटित रहो और संघर्ष करों। लेकिन आज भी बहुजन समाज बाबासाहब के उपदेशों पर कायम नहीं है और इस वजह से ही आज बहुजनों को असंख्य समस्याओं से झुलसना पड़ा रहा है। कुछ बाबासाहब के अनुयायी उनके बतायें हुए मार्ग पर चल रहे है लेकिन उन्हें बहुजनों से जैसा चाहिये वैसा प्रतिसाद नहीं मिल पा रहा है और यह एक बड़ी शोकांतिका है।

वर्तमान में देश के कोने-कोने में फैले हुयें दलित आदिवासी समाज पर शोषण, और उत्पीड़न की हजारों घटनायें घट रही है। हर तरफ उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। दिनों-दिन यह समस्यायें खत्म होने के बजाय अपनी सीमायें लाँघ रही है। लेकिन

फिर भी शासन और प्रशासन चुप है। कोई हरकत में नहीं आ रहीं है, आखिर क्यों? इस क्यों के पीछे का कारण सभी को अच्छी तरह से ज्ञात है। लेकिन बहुसंख्य समाज जो अभी भी अशिक्षित है, बाबासाहब के विचारों से अनभिज्ञ है और खुद को गुलामीयों से मुक्त ही नहीं कराना चाहता है, वे इसका परिणाम भूगत रहे है और अपने आनेवाली पीढ़ीयों के लिये समस्यायों का निर्माण कर रहे है। यह लोग आज भी संविधान को नहीं जानते। संघटित नही है। अपने मौलिक अधिकारों से आनभिज्ञ है। उसके प्रति सजग नहीं है। इसलिए वे इन समस्याओं से मुक्त नहीं हो पा रहे है। बाबासाहब ने कहा है,''गुलामों को जाति की गुलामी का एहसास करा दो, वे गुलामी (जाति) की जंजीर खुद तोड देंगे। तभी सभी बुद्धिमान बन सकते है।'' फिर भी बहुजन लोग इतिहास को भूल कर फिरसे इतिहास को दौराने की गल्ती कर रहा है। सोचने वाली बात है, अगर उस वक्त बाबासाहने अपने अंतिम साँस तक सवर्णों से दलित आदिवासी और अन्य पिछड़ी समाज के अधिकारों के लिये संघर्ष नहीं किया होता तो आज क्या स्थिति होती? लेकिन आज भी बहुजन समाज सो रहा है। वे इतिहास भूल गये (कुछ अपवाद छोड़) बाबासाहब के विचारों को भूल गये। परिणामत: आज भी दलित आदिवासी और अन्य पिछड़ा समाज अनगिनत समस्याओं से घिरा हुआ है।

भारत देश जहाँ राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ऐसे कहीं राज्य है। आयें दिन इन सभीं राज्यों में दलित आदिवासियों का उत्पीड़न बड़ी तादाद में हो रहा है। खुले आम स्त्रियों पर अत्याचार, बलात्कार हो रहे है। इसमें मासूम कलीयों का समावेश है। इन स्त्रीयों में घरगुती महिलायें, श्रमिक महिलायें तथा कामकाजी महिलायें जो अच्छेओहदे पर है, साथ ही मासूम बच्चीयाँ जो स्कूल पढ़ती है या घर पर रहती हो, और वृद्ध महिलाओं का भी समावेश है। यह आज वर्तमान स्थिति में अत्यंत अमानवीय घटना है। आयें दिन मीडिया, समाचार-पत्र, पत्रिकायें इनमें यह खबरें बड़ी तादाद में प्रकाशित हो रही है। यह तो दलित आदिवासी महिला की बात है लेकिन दलित आदिवासी पुरूष भी सवर्णों द्वारा अत्याचार के बली पड़ रहे है। उनका भी हर प्रकार का शोषण किया जा रहा है।

इसप्रकार आज देश के कोने कोने से दलित आदिवासीयों चीखें सुनायी दे रही है। लेकिन फिर भी प्रशासन अनभिज्ञ जैसा बर्ताव कर रही है। एस. सी.,एस. टी. कमिश्नर के अनुसार तो रोज हजारों घटनायें घड़ती है लेकिन कुछ ही मामले सामने आते है। कुछ मामलें दर्ज होते है, कुछ दर्ज ही नहीं करवातें। आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर दलित आदिवासी समाज पर अत्याचार नहीं होते होंगे। घर से बाहर, स्कूल से लेकर केंद्रिय विश्वविद्यालय, कस्बे से लेकर शहर, खोतीहर, श्रमिक से लेकर उच्चपद पदस्थ कर्मचारी, सरकारी गैरसरकारी संस्थायें, पुलिस थाना, हॉस्पीटल हर जगह शोषण के मामले सामने आ रहे है।

भारत की राजधानी, देश की तख्त समझने वाले दिल्ली में प्रभावी शासनकर्तो के बावजूद एक इंजिनियरींग महाविद्यालय में उँची जातियों के छात्रों द्वारा दलित छात्रों के शोषण का मामला सामने आया। आजादी के बाद भी यह शोषण का मामला मानवजाति को कंलकित करने वाला है।

दलित आदिवासियों का शोषण यह संविधान के निर्माण से कुछ हद तक खत्म हो गया था। लेकिन आज भी यह समस्यायें फिरसे अपना रौद्र रूप धारण कर रही है। देश में चारों और इन घटनाओं को 'आम' बना दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले स्वंयघोषित संत 'आसाराम बापू''संत' की उपाधि को ही कलंकित कर दिया। उनके द्वारा गुरूकुल की हजारों छात्राओं के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया। इन हजारो छात्राओं में कितने ही दलित आदिवासी शिष्या या छात्राओं का शोषण किया गया होगा। क्योंकि ऐसे आश्रमों में ज्यादा तर वही लोग अपनी बच्चीयों को भेजते है जो आर्थिक रूप से पिछ़डे है। ऐसे लोग दलित आदिवासी वर्ग में ही जादा है। महाराष्ट्र में स्थित एक केंद्रिय विश्वविद्यालय में एक अम्बेडकरवादी आदिवासी सहायक प्रोफेसर को फर्जी केस में फँसाकर उन्हें पद से निष्कासित किया गया। वैसे ही अन्य पिछ़डी जाति के एक युवक द्वारा एक आदिवासी छात्रा को छात्रवृति से वंचित रखने पर आवाज उठायी तो उसे नौकरी से निकाला गया। कुछ दिनों पहले

वर्धा जिला (महाराष्ट्र) के एक देहांत मे आदिवासीयों पर हिंदूओं द्वारा हमला किया गया/जिसमें एक आदिवासी वृद्धा-महिला की मृत्यू हो गयी। और अन्य लोग बुरी तरह जख्मी हो गये।

बिहार राज्य में भी जातीय हिंसा बढ़ रही है। आयें दिन वहाँ के जमींदार जो सवर्ण है दलित वर्ग के खेत मजदूरों पर वर्चस्व दिखा कर उनका शोषण कर रहे है। किसी को मजदूरी नहीं मिल रही हैतो किसी के भूमि पर कब्जा कर रहे है, ऐसी अनेक वारदातें हो रही है।

सरकार द्वारा दलित आदिवासीयों के बच्चों को शैक्षिक सुविधा देने हेतू योजनायें आती रहती है। लेकिन समाज के शत्रू जो अभी भी दलित आदिवासीयों की उन्नति नहीं चाहते, इन योजनाओं से उन्हे वंचित रखते है। ऐसी अन्य योजनायें भी आती है, जिससे दलित आदिवासीयों का सर्वांगीण विकास हो, उन्नति हो, लेकिन उन्हें समाज के शत्रूओं द्वारा उन तक नहीं पहुँचाया जाता है।

शहरों से दूर अति दुर्गम भाग, जहाँ पर दलित आदिवासी लोग आज भी रहते है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या आदिवासीयों की है। यह अति दुर्गम भाग सुख-सुविधाओं से कई दूर है। यहाँ पर ना शिक्षा की व्यवस्था रहती है, ना उपचार केन्द्र। इन लोंगो को अपनी सभी जरूरतों को पूरा करने हेतू आस-पास के ग्राम में जाना पड़ता है। दो वक्त की रोटी इनको नसीब नही होती। अन्य सुविधायें का तो सपना भी नहीं देख सकते यह लोग। फिर भी देश में सर्वत्र घोषित किया जाता है की भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ा, सबको अन्न सुरक्षा मिलेगी, कोई भी भूखा नहीं रहेगा इत्यादी।

इसी दृष्टिकोन से आश्रम शालाओं का निर्माण किया गया है। जहाँपर दुर्गम, अति दुर्गम क्षेत्र के दलित आदिवासी बच्चे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। हाल ही की घटना है, नागपूर जिले के पास में एक ग्राम के आश्रम शाला में आदिवासी लड़कीयाँ जो शिक्षा हेतुवहाँ पर रहती है। उनका शिक्षक द्वारा शारीरिक शोषण का भयावह मामला सामने आया।

एक आदिवासी महिला पुलिस कर्मी अपने उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल हुयी तो वहीं पर कार्यरत कर्मचारीयों द्वारा उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। ऐसी एक नहीं अनगिनत घटनायें देश के कोने-कोने घट रहीं है। लेकिन फिर भी ना सरकार द्वारा कुछ ठोस कदम उठायें जाते है और नाही दलित आदिवासी समाज संघटित हो कर संघर्ष कर पा रहा है। कुछ लोग इसके विरूद्ध आवाज उठातें है तो उन्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। क्या करें? देश की समाजव्यवस्था शुरू से ही शोषीत एवं पीड़ीतों के प्रति उदासीन रही है। जो सत्य है, जो अपनी एवं दूसरों के मौलिक अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष करता हैं, उसे गलत ठहराया जाता है साथ ही उसे इसकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। दूसरी तरफ का चित्र इसके विपरीत है, जो असत्य है, जो अपनी वैयक्तिक स्वार्थ हेतू दूसरो के अधिकारों को छिनता है उसे यहाँ सर आँखो पर बिठाया जाता है। साथ ही उसके गुणगान भी होते है। उसे समाज में अच्छा व्यक्तिमत्व होने का दर्जा भी प्राप्त होता है। फिर वह एक बलात्कारी हो निष्पाप लोगों की हत्या करनेवाला हो या फिर शोषण करने वाला।

आयें दिन देश में दलित आदिवासीयों के शोषण और उत्पीड़न के कई मामले सामने आ रहे है। उनमें से एक दलित आदिवासीयों महिलाओं के उत्पीड़न एवं शोषण का मामला दिनों दिन बढ़ रहा है। यह एक ज्वलंत और अत्यंत अशोभनीय बात है। दलित आदिवासी महिला हो या देश की कोई भी समाज की महिला हो, उसका शोषण एवं उत्पीड़न करना बड़ी निंदा की बात है। आज देश में सर्वत्र महिलाओं ने जो उन्नति की है, वह प्रशंसनीय है ओर गौरवपूर्ण भी। लेकिन इसमें भी दलित आदिवासी महिलाओं की संख्या ज्यादा है। कुछ अपवाद छोड़ दिये बाकि सब दलित आदिवासी वर्ग की ही महिलायें शोषण एवं उत्पीड़न की बली चढ़ायी जा रही है। इनमें भी गरीब, अशिक्षित, श्रमिक और कामकाजी महिलायें सभी का शोषण हो रहा है। रोज की जिंदगी में इन महिलाओं में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

एक तरफ कहते है भारत देश आज 21 वीं सदीं को ओर साथ ही उत्तर आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सही तो यह है कि, देश इनके विपरीत कार्य कर रहा है। यहाँ पर ना व्यक्ति स्वंतत्रता की अहमियत है, नहीं मौलिक अधिकारों की। जिस देश में आज भी दलित आदिवासी वर्ग गुलामी में अपना जीवना यापन कर रहा है, वहाँ उत्तर आधुनिकता कैसी? आज दलित आदिवासी समाज देश का वह बहुजन समाज है जिसे हजारों सालों से उन्नति से दूर रखा गया है। यह समाज आज भी अपनी मौलिक अधिकारों से वंचित है। जिससे उसकी सर्वांगीण स्थिति प्रगतिपथ पर नहीं है। यह वर्ग आज सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, धार्मिक और राजनीतिक ऐसी कहीं समस्याओं झुलस रहा है। परिवार की आर्थिक परिस्थिति को सक्षम करने हेतु जब एक दलित आदिवासी महिला अर्थाजन करने बाहर निकलती है तो उसे भी अनगिनत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्थाजन करना, परिवार की आर्थिक परिस्थिति को सक्षम बनाना, क्या यह कोई गुनाह है? जब एक महिला पढ़ लिखकर सुशिक्षित होकर काम करती है, नौकरी करती और अपने साथ अपने परिवार को भी संभालती है, क्या यह भी कोई अपराध है? आज दलित आदिवासी महिलायें शिक्षित बन हर क्षेत्र में नौकरी कर रही है। आगे बढ़ रही है। यह बड़ी गर्व की बात है। लेकिन फिर भी वही बात आती है जातिव्यवस्था की, भेदभाव की। यहाँ पर भी यह महिलायें सुरक्षित नहीं है। जब सुशिक्षित कामकाजी महिलाओं के साथ शोषण, उत्पीड़न के मामले सामने आते है तो अनपढ़, और श्रमिक महिलाओं की क्या स्थिति होगी। वे महिलायें तो अपने अधिकारों को भी नहीं जानती।

बाबासाहब डॉ. अम्बेडकर ने संविधान में अनुच्छेद (15) में स्त्री-पुरूष समानता का अधिकार दिया है, समाज धर्म, जाति, वर्ग का दर्ज दिया है फिर भी कार्यस्थलों पर महिलायें सुरक्षित नहीं है। गंभीरता से सोचे तो आज भी मानवीय अधिकारों का खुले आम उल्लंघन हो रहा है। यही उपर्युक्त सभी समस्याओं से स्पष्ट होता है। देखा जायें तो महिला उत्पीड़न की समस्यायें अति प्राचीन है। उस वक्त अज्ञानता, रूढी-परंपराये, संस्कृति आदि गुलामीयों के

जंजीरो ने महिलाओं को जखड़ लिया था। लेकिन वर्तमान में यह सब कहाँ तक उचित है। कहीं साहित्यकारों ने महिला उत्पीड़नों के बारे विश्लेषण लिखा है। उन्हें समाज के सामने लाने का प्रयास भी किया है। लेकिन फिर भी यह समस्यायें बढ़ रही है। आज के स्थिति में यह अध्ययन का विषय है। कामकाजी दलित आदिवासी कामकाजी, गृहीणी, श्रमीक, महिलाओं के साथ दिनों-दिन शोषण एवं उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे है। फिर से हो चाहे वह शोषण, उत्पीड़न घर में हो या घर के बाहर। सामान्यत: घर में कामकाजी महिलाओं का उत्पीड़न एवं शोषन कम होता है जबकि बाहरी क्षेत्र में उत्पीड़न की समस्यायें अधिक प्रतिशत में पायी जाती है। क्योंकि बाहरी क्षेत्र होने कारण घर से बाहर अकेली महिला को असहाय, कमजोर समझकर उससे अनुचित व्यवहार किया जाता है।

इसलिए कामकाजी महिलायें सुशिक्षित होने के बावजूद भी कार्यस्थलों पर सुरक्षित नहीं है। वर्तमान में दलित आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का पुन: अध्ययन कर फुल तथ्यों की खोज करने का एक छोटा सा प्रयास प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध द्वारा किया जा रहा है।

मनुष्य प्राणी यह शुरू से ही अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है। और इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने अपनी जंगली अवस्था से आज की स्थिति को प्राप्त किया है। अनगिनत खोज करके समाज को जटिल कर दिया है। शोध से ज्ञान में वृद्धी होती है। और इसी ज्ञानपिपासा को शांत करने के लिए मनुष्य खोज करना है और सत्य तक पहुँचता है। सत्य की खोज को वैज्ञानिकता के आधार पर जाँचता भी है। मनुष्य समाज की निर्मिती तो की है लेकिन उसे इतना जटिल बना दिया है की आज समाज में मनुष्य को अनागिनत समस्यायें निर्माण हो रही है। यह समस्यायें भिन्न-भिन्न प्रकार की है, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, अपराध, भ्रष्टाचार, शोषण, उत्पीड़न आदि समावेश है। समाज की कोई भी

समस्या सुलझाने के लिए शोध का अत्यंत महत्व है ओर शोध से समस्या का हल निकालने में सहायता होती है।

भारतीय संविधान में स्त्री-पुरूष, धर्म, जाति, के बारें में समसमान अधिकारों का प्रावधान दिया है। लेकिन वर्तमान स्थिति में स्त्री-पुरूष, धर्म, जाति के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। सर्वत्र मानवीय अधिकारोंका उल्लंघन हो रहा है। समाजो शुरू से ही जिस दलित आदिवासी वर्ग का अस्तित्व नकारा है, उस वर्ग की महिलाओं पर दिनों-दिन अत्याचार बढ़ रहें। जो अत्यंत गंभीर समस्या है। साथ ही उनके अत्याचारों से कही महिलाओं की मृत्यु भी हो रही है। जिससे महिलाओं का प्रमाण भी घट रहा है। इनमें स्त्री भ्रुण  हत्यायें भी हो रही है। जो निंदा की बात है। एक और कहीं ज्यादा निंदनीय वह बात है की, एक दलित आदिवासी स्त्री पढ़ लिखकर जब अर्थाजन के लिये बाहर जाती है तो वहाँ पर उसका शोषन किया जाता है। उसे शारीरिक, मानसिक पीड़ा सहन करनी पड़ती है। जिससे कामकाजी महिलाओं का आत्मविश्वास कम हो जाता है। मानसिक संतुलन बिघड़ता है। अन्य समस्यायें भी उत्पन्न होती है। प्रस्तुत शोध प्रबंध में इसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 'दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याएँ ; एक अध्ययन' (विशेष संदर्भ : वर्धा शहर, जिला-वर्धा, महाराष्ट्र) विषय का चयन किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध में दलित एवं आदिवासी महिलाओं का प्राचीन काल से हो रहे उत्पीड़न को विश्लेषन के साथ उत्पीड़न की अवधारणाओं को भी स्पष्ट किया जायेगा। वर्तमान में दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं को किस प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ रहा उनके साथ किस प्रकार शोषण एवं उत्पीड़न हो रहा है, तथा उनके साथ यौन उत्पीड़न की समस्याओं का भी विवेचन एवं विश्लेषण प्रस्तुत शोध में किया जाएगा। क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले एवं भारतीय नारी के उद्धार कर्ता बाबासाहब डॉ. अम्बेड़कर का नारी उत्थान में जो योगदान रहा है,  उसका भी विवेचन जायेगा। वर्धा शहर में वर्तमान में

दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलओं को कार्यस्थलों पर निर्माण हो रही समस्याओं का विश्लेषन भी किया जायेगा। वर्धा शहर में विविध क्षेत्र में कार्यरत दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं को मिलकर उनके द्वारा संकलित तथ्यों को तथा महिलाओं के समस्याओं को रोकने के लिए,अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का विवेचन भी प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध में जायेगा।

## 1.2 साहित्य पुनर्रावलोकन

प्राचीन काल से जुल्मों का शिकार होता आ रहा है दलित एवं आदिवासी वर्ग। उसमें भी एक दलित और आदिवासी महिला तो दोहरी शोषीत्त है। इन दलित एवं आदिवासी वर्ग की महिलाओं की स्थिति को और भी दयनीय किया गया है। दलित आदिवासी महिला घर से ज्यादा बाहर के लोगों से पीड़ित है। कामकाजी महिलायें परिवार में आर्थिक स्थिरता लोने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन अपनी व्यावसायिक जीवन के कारण उन्हे घरेलू समस्याओं से ज्यादा बाहरी समस्याओं का शिकार होना पड़ता है। समस्या तो और भी बढ़ जाती है जब वह महिला किसी दलित या आदिवासी वर्ग की होती है।

इसी संदर्भ में कहीं सामाजिक सुधारकों ने, समाज वैज्ञानिको ने, साहित्यकारों ने गहन और गंभीरता पूर्वक अध्ययन करके साहित्य का निर्माण किया है। शोधकर्ताओं ने भी इस विषय पर अनेक शोध प्रबंध प्रस्तुत किये है। इसी विषय पर निम्नलिखित साहित्यों का भी सहयोग है।

1) मोहनदास नैमिशराय संकलित एवं संपादित ‘‘दलित उत्पीड़न की परम्परा और वर्तमान’’ (2007) में देश के सभी राज्यों में हो रहे दलित उत्पीड़न के मामले, इतिहास राजनीति के परिप्रेक्ष्य में हुई घटनाओं के विस्तृत विवरण के साथ विश्लेषण भी है। दलित महिला अधिकारी का यौन उत्पीड़न, महिला उपप्रधान का उत्पीड़न इत्यादी कामकाजी महिलाओं के

उत्पीड़न का भी विश्लेषण किया गया है। साथ ही अन्य दलित महिलायें, छात्र-छात्रायें इनके शोषण को भी विश्लेषीन किया गया है।

2) डॉ. मंजू सुमन लिखित ‘‘दलित नारी : एक विमर्श’’ (2004) पुस्तक में उन्होंने समाज में उपेक्षित दलित आदिवासी महिलाओं के संदर्भ में विवेचना की गयी है। तथा उनके स्थान और महत्व को भी विश्लेषीत किया गया है।

3) डॉ. ज्ञान प्रकाश गौतम लिखित ‘‘दलित महिला सशक्तिकरण एवं वैश्वीकरण’’ (2011) में दलित नारी की समस्यायें एवं संघर्ष के बारे में तथा संवैधानिक अधिकारों के बारें में विवेचन किया गया है।

4) डॉ॔. मंजू लता लिखीत “अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न” (2012) पुस्तक मे अनुसूचित जाति की महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमी को विशद किया गया है। साथ ही अनुसूचित जाति की महिलाओं के उत्पीड़न के कारण, स्वरूप एवं उत्पीड़न के प्रभावों को विस्तृत रूप में विशद किया है।

5) भास्कर मारोतराव नेवारे लिखित “आदिवासी गोवारी और संघर्षयुग” (2004) मे लेखक ने आदिवासीयों की सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती को विश्लेषीत किया है। साथ आदिवासी संस्कृति को भी विश्लेषीत किया है। वर्तमान हो रहे आदिवासीयों की शोषण के बारे में तथा उनके मानवीय अधिकारों के उल्लंघन को भी विश्लेषीत किया है।

6) के.आर.शहा. संपादित “आदिवासी सत्ता” पत्रिका में समस्त आदिवासी तथा आदिवासी महिलाओं की समस्याओं पर विश्लेषण किया गया है। देश में कोने कोने में आदिवासी महिलाओंपर जो अनपढ़ अशिक्षित, शिक्षित तथा सरकारी और गैरसरकारी क्षेत्र में काम कर रही है। ऐसी महिलाओं; के यौन शोषण के बारें में कई घटनाओं का विश्लेषण किया है। यह

समस्त दलित आदिवासीयों की ज्वलंत समस्याओं को पत्रिका के माध्यम से देश के हर राज्य में प्रचार एवं प्रसार करने का प्रयास कर रही है।

## 1.3 शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्न उद्देश्य है-

1) दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याओं के बारें मे अध्ययन करना।

2) वर्धा शहर की दलित कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन करना।

3) वर्धा शहर की आदिवासी कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का अध्ययन करना।

## 1.4 शोध की परिकल्पना

अध्ययन के उद्देश्यों के प्रतिपूर्ति हेतू तथा संबंधित विषय के तथ्यों को खोजने के लिए संबंधित विषय के बारें में पूर्वज्ञान या अनुभव होना जरूरी है। और इन्हीं पूर्वज्ञान के आधार पर विषय से संबंधित कुछ सामान्य अनुमान लगाते है जिसे ‘परिकल्पना’ कहते है। और इन्हीं परिकल्पनाओं के आधार पर संशोधन का कार्य होता है। यह पूर्वानूमान सही है या नहीं इसका सत्यापन करके कुछ निष्कर्ष निकाले जाते है।

इसी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययनके लिये निम्न परिकल्पनाओं को शोध का आधार बनाया जायेगा।

1) अन्य महिलाओं की तुलना में दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की समस्यायें ज्यादा है।

2) दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं की सामाजिक स्थिति के कारण उनपर अत्याचार होते रहे है।

3) कार्यस्थलों पर दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं से भेदभाव पूर्ण व्यवहार हो रहा है।

4) दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं की बौद्धिक क्षमताओं को कम आकां जा रहा है।

## 1.5 शोध प्रविधि

समस्या का निर्माण करने के पश्चात परिकल्पनाओं का निर्माण होता है। उसके बाद समस्या से संबंधित सामग्री एकत्रित करने का कार्य प्रारंभ होता है। इसके लिए प्रस्तुत शोध प्रबंध में निदर्शन प्रविधि तथा तथ्य संकलन प्रविधि के अंतर्गत प्राथमिक एवं द्वितियक स्त्रोत का भी उपयोग किया जाएगा।

### अ) निदर्शन प्रविधि

प्रस्तुत शोध कार्य करने के लिए वर्धा शहर जिला-वर्धा (महाराष्ट्र) की कूल 50 दलित एवं आदिवासी कामकाजी महिलाओं को चयनीत किया जाएगा जिसमें 25 दलित कामकाजी महिलायें तथा 25 आदिवासी कामकाजी महिलायें है। इनसे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर तथ्यों का विश्लेषन किया जाएगा।

### ब) तथ्य संकलन प्रविधियाँ

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्य संकलन करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितियक दोनों प्रविधियों का उपयोग किया जाएगा।